संख्या-9/2026/859/तीस-4-2026(1631800)

प्रेषक,

अर्चना अग्रवाल,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊरूदिनाँक 16 सितम्बर, 2026

विषय : प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जाँच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56(2) के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०-652ई, दिनाँक 23.09.2021 एवं यथासंशोधित जी०एस०आर०-797ई, दिनाँक 31.10.2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-22/2023/1078/तीस-4-2023-30-4099 (099)/138/2022, दिनाँक 02.08.2023 द्वारा 'राज्य नीति' निर्गत की गयी थी।

2- जन सामान्य को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने तथा निजी निवेशकों के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं एवं नवीन दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में नवीन व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

3- तदनुसार शासनादेश दिनांक 02.08.2023 द्वारा निर्गत राज्य नीति को अवक्रमित करते हुए एतद्द्द्वारा 'स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण' के सम्बन्ध में नवीन राज्य नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है; जो शासनादेश के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी:-

3.1- स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-जी० एस०आर०-652ई, दिनांक 23.09.2021 (यथा-संशोधित जी०एस०आर०-797(ई), दिनांक 31.10.2022), (यथा संशोधित जी०एस०आर०-195(ई), दिनांक 14.03.2024 तथा अधिसूचना दिनांक 08.05.2026 (जीएसआर-349(ई) द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 अंतःस्थापित अध्याय-11 में प्राविधानित रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया, पात्रता, अवसंरचना अपेक्षा, जनशक्ति अपेक्षा, रजिस्ट्रीकरण की वैधता व नवीनीकरण, परीक्षण प्रक्रिया व कार्य विधि, पुनः परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण परिणाम के विरूद्ध अपील, संपरीक्षा और निर्धारण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बन और रद्द करना, फीस, यथाविनिर्दिष्ट परीक्षणों की सूची, परीक्षण उपस्कर सम्बन्धी विनिर्देश तथा तकनीकी विनिर्देश आदि के संदर्भ में

http://shasanadesh.up.gov.in

विहित व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा। इस राज्य नीति में वर्णित न किये गये विषयों पर केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के साथ साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अधिसूचनाओं/सामान्य विधिक नियमों (GSRs) के प्राविधान लागू होंगे।

3.2- इस नीति के अधिसूचित होने के उपरान्त् नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल क्रियाशील होने के उपरान्त् सभी पात्र इच्छुक आवेदक NSWS पोर्टल https://www.nsws.gov.in पर आवेदन हेतु अर्ह होंगे। NSWS पोर्टल आवेदन हेतु 24 X 7 खुला रहेगा। जनपद में पंजीकृत वाहनों की संख्या एवं वाहन स्वामियों की असुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में कम से कम 2 ATS की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

जनपद में स्थापित किये जाने वाले ATS की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्न फार्मूला के आधार पर किया जायेगा :-

एक ATS में 01 दिन में कार्य किये जाने के अनुमानित समय	10 घण्टे या 10×60 = 600 मिनट
01 वाहन का फिटनेस चेक करने में लगने वाला अनुनानित समय	15 मिनट
01 दिन में फिटनेस चेक की गई वाहनों की अनुमानित संख्या	600/15 = 40 वाहन
01 माह में ATS में कार्य किये जाने के दिवसों की अनुमानित संख्या	25 दिवस
एक ATS में 01 माह में फिटनेस चेक की गई वाहनों की अनुमानित संख्या	40×25= 1000 वाहन
ATS में यदि 01 लेन (Lane) है तो 01 वर्ष में फिटनेस चेक की गई वाहनों की अनुमानित संख्या	12x1000 = 12000 वाहन
ATS में यदि 02 लेन (Lane) है तो 01 वर्ष में फिटनेस चेक की गई वाहनों की अनुमानित संख्या	2×12000= 24000 वाहन

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किसी जनपद में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या के सापेक्ष उपरोक्त फार्मूला के आधार पर ATS की अधिकतम संख्या का निर्धारण करते हुए इच्छुक आवेदकों से ATS की स्थापना हेतु अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जायेगा तथा उपयुक्तता की दशा में first come first serve (प्रथम आगत प्रथम पावत) की नीति के अनुसार आवेदकों को प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

परन्तु भविष्य के प्रथम चरण में NSWS पोर्टल से प्राप्त आवेदनों पर ऐसे जनपदों के आवेदनों का परीक्षण पहले किया जायेगा, जहाँ कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुए है अथवा प्राप्त आवेदन अर्ह नहीं पाये गये हैं। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 18.05.2026 के अनुसार ऐसे जनपदों का विवरण निम्नवत् हैः-(1) पीलीभीत, (2) बदायूँ, (3) संभल, (4) शामली, (05) कासगंज, (06) ललितपुर, (07) हरदोई, (08) अमेठी, (09) अम्बेडकरनगर, (10) बस्ती, (11) सिद्धार्थनगर, (12) संतकबीरनगर, (13) गोण्डा, (14) बलरामपुर, (15) बहराइच, (16) श्रावस्ती, (17) चित्रकूट, (18) जौनपुर, (19) चन्दौली, (20) देवरिया, (21) महाराजगंज, (22) कुशीनगर, (23) मऊ, (24) बलिया, (25) भदोही, (26) बाँदा, (27) महोबा, (28) हमीरपुर, (29) फर्रुखाबाद, (30) कन्नौज, (31) सीतापुर, (32) लखीमपुर, (33) अमरोहा, (34) बागपत, (35) सहारनपुर व (36) मुजफ्फरनगर।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (PRC) हेतु समस्त जनपदों के आवेदन NSWS पोर्टल पर 24 X 7 प्रस्तुत किये जा सकेगें।

3.3- स्वचालित परीक्षण स्टेशन के पंजीकरण के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 के तहत प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने व नवीनीकृत करने हेतु रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश होंगे।

3.4- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-195(ई), दिनांक 14.03.2024 यथा-संशोधित केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-183 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन का प्रचालन उस स्टेशन के ऑपरेटर द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियमों के अनुसार किया जाना है। इन नियमों के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन और परीक्षण परिणामों की समग्रता बनाई रखी जाएगी।

3.5- नियम-186 के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन होंगे।

3.6- स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-174(iii) में उल्लिखित प्राविधानों एवं नियम-178(1)(क) व नियम-178(1) (ख) के क्रम में कुल सांकेतिक क्षेत्र पांच सौ वर्ग मीटर प्रति दोपहिया परीक्षण लेन और एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर प्रति तीन पहिया या हल्के या मध्यम या भारी मोटर वाहन परीक्षण लेन होगी। समग्र सांकेतिक क्षेत्र में परीक्षण लेन, स्वागत या सूचना केंद्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी सर्वर, वर्कस्टेशन, प्रसाधन कक्ष, वाहनों के लिए पार्किंग और दृश्य निरीक्षण क्षेत्र सहित प्रशासनिक ब्लॉक और उपयोगिता सुविधाओं के लिए क्षेत्र शामिल होंगे।

पीआरसी/आरसी निर्गत किये जाने के उपरान्त यदि आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष निर्माणाधीन एटीएस में अतिरिक्त लेन बढ़ाये जाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदक के पास उपलब्ध भूमि का परीक्षण कराते हुए आवेदन अर्ह पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

3.7- नवीन स्थापित होने वाले स्वचालित परीक्षण स्टेशन की भूमि सम्बन्धित जनपद में किसी चलायमान पक्की सड़क पर स्थापित होगी। भूमि के ऊपर हाईटेन्शन पॉवर लाइन नहीं होगी।

3.8- स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु आवेदन के समय आवेदक को निर्धारित भूमि के स्वामित्व का प्रमाण मय अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक के पास निर्धारित भूमि का स्वामित्व उपलब्ध नहीं है तथा वह भूमि पट्टे या भाड़े पर लेने का इच्छुक है तो उसे उक्त भूमि को न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए भाड़े/पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित ₹100/- के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भूमि स्वामी का नोटराइज्ड सहमति पत्र तथा सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व का प्रमाणीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। भूमि भाड़े/पट्टे पर लिये जाने का रजिस्टर्ड डीड प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (Preliminary Registration Certificate) निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

3.9- स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक-पृथक द्वार होंगे, ताकि वाहनों का आवागमन बाधित न हो। परिसर तक पहुंच मार्ग चालू पक्की सड़क पर होनी चाहिए। स्वचालित परीक्षण स्टेशन में प्रवेश व निकास के समय वाहन की प्रविष्टियां अंकित की जायेगी, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वाहन कितने समय तक केन्द्र में रही।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.10- किसी एक आवेदक को एक जनपद में एक ही स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित करने की अनुमति होगी। यह प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार/राज्य सरकार व केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम पर लागू नहीं होगा। एक व्यक्ति/एंटिटी (Entity) को 03 से अधिक स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

3.11- स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में विनिर्दिष्ट फिटनेस जांच पड़ताल एवं परीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.12- स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में जनसामान्य हेतु निम्नलिखित सूचनाएं भी प्रदर्शित की जायें-

i. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त) द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की प्रति।
ii. स्वचालित परीक्षण स्टेशन के इन्चार्ज का नाम व फोन नम्बर।
iii. स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन, टाइम स्लॉट बुकिंग एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया।
iv. अन्तिम आडिट की तिथि।
v. जनमानस की समस्या के निवारण हेतु परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नम्बर-18001800151 व 149.

3.13- स्वचालित परीक्षण स्टेशन की संपरीक्षा और निर्धारण प्रत्येक छः माह में किया जायेगा तथा ऐसी संपरीक्षा और निर्धारण की लागत का वहन स्वचालित परीक्षण स्टेशन के प्रचालक द्वारा किया जायेगा और प्रचालक अर्धवार्षिक वित्तीय़ वर्ष अर्थात् उस वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल के पूर्ण होने के एक मास के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर संपरीक्षा और निर्धारण रिपोर्ट अपलोड करेगा। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियमों/आदेशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3.14- केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा। परीक्षण स्टेशन को प्राप्त होने वाले शुल्क पर देय जी०एस०टी० वाहन स्वामी से परीक्षण स्टेशन द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा जी०एस०टी० के प्रचलित प्रक्रिया व नियम के अनुसार निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित विभाग को जमा करने का दायित्व परीक्षण स्टेशन संचालक का होगा। भविष्य में होने वाली शुल्क में कमी/वृद्धि की दशा में तत्समय विद्यमान फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा।

3.15- प्रदेश में पूर्व से संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशन को भी उक्त राज्य नीति अधिसूचित होने की तिथि से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क ही देय होगा तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा। भविष्य में होने वाली शुल्क में कमी/वृद्धि की दशा में तत्समय विद्यमान फिटनेस परीक्षण शुल्क उक्त स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा।

3.16- शासकीय वाहनों पर कोई स्वस्थता परीक्षण शुल्क एवं प्रमाण-पत्र निर्गमन शुल्क देय नहीं होगा।

3.17- स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति या कम्पनी/एलएलपी फर्म/प्रोपराइटर फर्म/सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रबन्ध निदेशक (MD)/मुख्य कार्य-पालक अधिकारी तथा कंसोर्शियम/ पार्टरनरशिप फर्म की दशा में समस्त पार्टनर्स इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (संलग्नक एटीएस प्रारुप-1) प्रस्तुत करेंगे कि

http://sracsanadesh.up.gov.in

उन्हें पिछले तीन वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार द्वारा अपात्र/प्रतिबन्धित/ ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में कोई त्रुटिपूर्ण सूचना संज्ञानित होती है, तो ऐसे आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगें।

3.18- केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 में विहित व्यवस्था के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु परीक्षण स्टेशन का स्वामी व आपरेटर दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपरेटर के आवेदन करने की दशा में, परीक्षण स्टेशन के स्वामी द्वारा निर्गत अधिकार पत्र आपरेटर द्वारा ₹100 के मूल्य के नोटराइज्ड शपथ-पत्र (संलग्नक एटीएस प्रारुप-2) पर प्रस्तुत किया जायेगा। ऑपरेटर से अभिप्राय नियम-174 (viii) में दी गयी व्यवस्था से है।

3.19- चयनित आवेदक द्वारा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 06 माह की अवधि के भीतर स्टेशन निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। 06 माह की अवधि के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने की स्थिति में जनहित के दृष्टिगत नोटिस आदि कार्यवाही का विकल्प रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त) को होगा।

3.20- चयनित आवेदक द्वारा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के भीतर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना पूर्ण करके प्री० कमिशनिंग ऑडिट एवं असेसमेन्ट का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जायेगा। ऐसा न होने की स्थिति में ₹ 10,000/-प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी। इस माइलस्टोन की प्राप्ति में 03 माह से अधिक अवधि का विलम्ब होने की स्थिति में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का विस्तार अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर उनके विवेक या निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा।

3.21- प्रदेश में पूर्व से संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जी०एस०आर०-652ई, दिनांक 23.09.2021 एवं यथासंशोधित जी०एस०आर०-797ई, दिनांक 31.10.2022, यथासंशोधित जी०एस०आर०-195(ई), दिनांक 14.03.2024 एवं जी०एस०आर०-349(ई), दिनांक 08.05.2026 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में अन्तःस्थापित किये गये अध्याय-11 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.22- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या- जी.एस.आर.-652(ई), दिनांक 23.09.2021 एवं तदोपरान्त हुए संशोधनों विशेषकर जी.एस.आर.-349(ई), दिनांक 08.05.2026 के संशोधनों द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-181 के प्रस्तर 6(iv)(ग) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार वाहनों के परीक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

3.23- यान के सुधार से सम्बन्धित कोई सेवा केंद्र या कोई व्यक्ति, उसी जिले में, जहाँ इस तरह के संचालन किए जाते हैं, प्रत्यक्षतः किसी स्वचालित परीक्षण केंद्र का स्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा।

3.24- स्वचालित परीक्षण केंद्र पर ठीक हालत में होने के परीक्षण के लिए स्लॉट बुक करते समय यान पहचान और यान के स्वामी की पहचान के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी, अर्थात (i) किसी यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या, (ii) रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर।

http://sriasonadesh.up.gov.in

3.25- स्वचालित परीक्षण केंद्र के संचालक द्वारा यान के जियो-टैग की गयी तस्वीरें और यान का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग वीडियो सम्मिलित है, को केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, कैप्चर और अपलोड किया जाएगा, जिसमें यान के आगे, पीछे, दाहिनी तथा बाईं तरफ से रजिस्ट्रीकरण नंबर प्लेट, चेचिस नंबर, यान की विशेषताओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशन में यान की उपस्थिति को स्पष्ट रुप से दिखाया जाएगा।

3.26- स्वचालित परीक्षण केंद्र के संचालक द्वारा यान का कैप्चर किए गए, सभी परीक्षण डेटा और दृश्यता निरीक्षण डेटा, जिसमें फोटो और वीडियो सम्मिलित हैं, संपरीक्षा और निर्धारण प्रयोजनों के लिए, कम से कम 6 (छः) मास के लिए परिरक्षित रखे जाएगें।

3.27- आवेदकों की सुविधा हेतु NSWS पोर्टल तथा परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in पर आवेदन सम्बन्धी यूजर मैनुअल उपलब्ध है।

3.28- NSWS पोर्टल पर समय से एवं सही रूप में आवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक का होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन, अपूर्ण आवेदन तथा समय से आवेदन नहीं प्रस्तुत करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

3.29- स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 के समस्त प्रविधान के साथ-साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं एवं प्रशासकीय आदेशों के प्राविधान लागू होंगे।

4- प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (PRC) के आवेदन की मानक संचालन प्रक्रिया:

4.1- प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (PRC) के अनुदान हेतु पात्र आवेदक द्वारा आवेदन मय सपोर्टिंग अभिलेख नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल https://www.nsws.gov.in पर केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-188 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन एवं निर्दिष्ट शुल्क केवल और केवल नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर विहित व्यवस्था के अनुरूप ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।

4.2- आवेदन शुल्क नॉन-रिफण्डबल होगी अर्थात् आवेदन अस्वीकार्य स्थिति में भी वापस नहीं होगी।

4.3- नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर आवेदन हेतु आवेदक को NSWS पोर्टल द्वारा विहित व्यवस्था के अनुरूप अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

4.4- आवेदन सबमिशन प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व आवेदक को नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर विहित व्यवस्था के अनुरूप अपना Login credentials (login id & password) एवं बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना अनिवार्य होगा।

4.5- स्वामी या आपरेटर एक विधिक ईकाई होगा तथा तत्सम्बन्धी विधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र की नोटराइज्ड सत्यापित प्रति उसे निम्न व्यवस्था के अनुरूप नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगाः-

क्र०सं०	विधिक इकाई का स्वरूप	NSWS पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेन्ट
1	*2*	*3*

http://shasanadesh.up.gov.in

i.	कम्पनी	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निर्गत सर्टिफिकेट ऑफ इन्कार्पोरेशन
ii.	LLP फर्म	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निर्गत LLP सम्बन्धी सर्टिफिकेट ऑफ इन्कार्पोरेशन
iii.	पार्टनरशिप फर्म	पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप
iv.	सोसाइटी	सोसाइटीस् रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
v.	ट्रस्ट	प्रचलित नियमों के तहत निर्गत ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
vi.	प्रोपाइटर	Shop एण्ड Establishment Act के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा उद्यम आधार प्रमाण-पत्र

4.6- यदि आवेदक कन्सोर्सियम अथवा ज्वांइट वेन्चर हो, तो उस स्थिति में निम्न शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगाः-

i. कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर में अधिकतम तीन सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य का विधिक इकाई होना अनिवार्य होगा तथा सभी सदस्य को विधिक इकाई सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रत्येक सदस्य को वैध जीएसटी सर्टिफिकेट/पैन (Permanent Account Number) की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा।

ii. आवेदन प्रस्तुत करने के बाद कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर के संघटन में परिवर्तन बिना परिवहन आयुक्त की सहमति के अनुमन्य नहीं होगा अन्यथा स्थिति में आवेदन/PRC निरस्त करने का अधिकार परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को होगा।

iii. कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर की स्थिति में एक लीड मेम्बर होगा, जिसके पास 51 प्रतिशत शेयर होगा।

iv. लीड मेम्बर के द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

v. सभी सदस्यों का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार व केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम पर अपात्र/ प्रतिबन्धित/ ब्लैक लिस्ट न होने निर्धारित प्रारूप "एटीएस प्रारूप-1" में देना अनिवार्य होगा।

vi. भूमि स्वामित्व के संदर्भ में यदि भूमि कन्सोर्सियम के सदस्यों के स्वामित्व में हो तो सभी सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्रफल का योग ATS हेतु निर्धारित "पात्रता क्षेत्रफल" हेतु स्वीकार्य होगा।

vii. कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर का लीड मेम्बर या अन्य कोई सदस्य किसी एक जनपद के अन्य स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदन के लिए सिंगल या कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर के रूप में अर्ह नहीं होंगे।

viii. आवेदन के साथ कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर के रूप में सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं सीलयुक्त मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य का बिजनेस प्रोफाइल विवरण, स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापना के संदर्भ में उनके पृथक-पृथक दायित्व एवं ज्वांइट वेन्चर के सम्बन्ध में पृथक-पृथक इक्विटी शेयर का विवरण देना होगा।

http://transport.up.gov.in

ix. PRC जारी होने के 30 दिन के अन्दर कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर को कम्पनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी के समक्ष ज्वांइट वेन्चर अनुबन्ध के अनुसार एक नयी कम्पनी (SPV) पंजीकृत कराकर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में PRC निरस्त करने का अधिकार परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को होगा।

x. कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर अनुबन्ध की अवधि ATS रजिस्ट्रीकरण की वैधता अवधि तक होगी।

xi. कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर की स्थिति में PRC निर्गत होने की तिथि से दो माह के अन्दर SPV रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (कम्पनी एक्ट के तहत) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.7- **परीक्षण समिति का गठन:** प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निम्नवत् गठित परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा :-

'परीक्षण समिति'

1.	अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3.	अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।	सदस्य
4.	अपर परिवहन आयुक्त (आई०टी०), उत्तर प्रदेश।	सदस्य
5.	उप परिवहन आयुक्त (विधि), उत्तर प्रदेश।	सदस्य
6.	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	सदस्य
7.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक), मुख्यालय।	सदस्य
8.	विशेष आमंत्री सदस्य (परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार)	सदस्य

यदि उपरोक्त समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित होता है तो कार्यहित में परिवहन आयुक्त द्वारा किसी अन्य को सदस्य नामित किया जा सकता है।

उक्त समिति NSWS पोर्टल पर प्राप्त आवेदन-पत्रों का सम्यक परीक्षण करते हुए अर्ह आवेदन-पत्र के पक्ष में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (Preliminary Registration Certificate) जारी करने की संस्तुति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी 'परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश' को करेगी। उक्त समिति की बैठक पाक्षिक रुप से अनिवार्यतः सम्पन्न की जायेगी। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा परीक्षण समिति की संस्तुति से संतुष्ट होने की स्थिति में सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रारुप-61 में निर्गत किया जायेगा।

4.8- **आवेदन का परीक्षण एवं चयन मानदण्डः** आवेदनों का परीक्षण परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा गठित परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा आवेदन की पात्रता निर्धारण में निम्न शर्तों की पूर्णता का परीक्षण किया जायेगाः-

i. प्रत्येक प्रस्तुत आवेदन पर नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल द्वारा ही सिस्टम जेनरेटेड आवेदन नम्बर दिया जायेगा, जिसमें आवेदन का समय व दिनांक भी उल्लिखित होगा।

ii. भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०-652ई, दिनांक 23.09.2021 (यथासंशोधित जी०एस०आर०-797ई, दिनांक 31.10.2022), अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०-195ई, दिनांक 14.03.2024 तथा अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०-349ई, दिनांक 08-05-2026 मोटरयान नियमावली में अन्तःस्थापित अध्याय-11 में प्राविधानित व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश शासन

http://sparivahan.up.gov.in

द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्णीत व्यवस्था के अनुरूप पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करने वाला आवेदन ही "PRC" के निर्गमन हेतु अर्ह होगा।

iii. आवेदक विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत हो तथा पंजीकरण सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत किया हो।

iv. आवेदन में अनुमन्य भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की लोकेशन की स्थिति का उल्लेख हो।

v. आवेदन में प्रस्तावित लेन संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो।

vi. आवेदक द्वारा एक जनपद में एक ही आवेदन प्रस्तुत किया गया

vii. आवेदक यदि आपरेटर हो, तो उस स्थिति में एटीएस प्रारुप-2 पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

viii. आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस ऑनलाइन जमा किये जाने की पुष्टि की जाये।

ix. आवेदक द्वारा अपात्र/प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी घोषणा पत्र एटीएस प्रारुप-1 प्रस्तुत किया गया हो।

x. आवेदन में प्रस्तुत सभी आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन समिति द्वारा किया जायेगा।

xi. भू-अभिलेख सम्बन्धी दस्तावेज का भी सत्यापन समिति द्वारा कराया जायेगा।

xii. समिति आवेदन के साथ प्रस्तुत किसी भी अभिलेख के स्पष्ट न होने की स्थिति में आवेदक से NSWS पोर्टल पर query अथवा आवेदक के email के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने को सूचित कर सकती है तथा आवश्यक होने पर समिति अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकती है, किन्तु वह दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हों।

4.9- परीक्षण समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त् जनपदवार अर्ह आवेदक के पक्ष में PRC जारी करने की संस्तुति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश) को किया जायेगा।

4.10- स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त समिति की संस्तुति से संतुष्ट होने की स्थिति में अर्ह आवेदक के पक्ष में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में निर्धारित प्रारूप 61 में PRC जारी किया जायेगा। जारी PRC NSWS पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा आवेदक PRC को NSWS पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा, साथ ही PRC की मूल प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय से भौतिक रुप से प्राप्त करेगा। PRC की मूल प्रति खो जाने पर केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-188(4) के तहत विहित शुल्क जमा कराते हुए PRC की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

5- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (RC) के आवेदन की मानक संचालन प्रक्रिया-

5.1- रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्राविधानों विशेषकर नियम-175 तथा समय-समय पर यथासंशोधनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.2- आवेदन हेतु केवल वही आवेदक अर्ह होंगे, जिन्हें Preliminary Registration Certificate (PRC) निर्गत किया गया हो तथा जिन्होंने केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 176 से 179 में विहित सभी अपेक्षाओं को पूर्ण कर लिया है।

5.3- अर्ह आवेदक द्वारा NSWS पोर्टल पर Registration Certificate (RC) निर्गमन हेतु आवेदन किया जायेगा।

5.4- आवेदन के साथ नियम-188 में विनिर्दिष्ट धनराशि (समय-समय पर यथासंशोधित) Online माध्यम से जमा की जायेंगी।

http://transport.up.gov.in

5.5- आवेदन के साथ परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के पक्ष में ₹5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) की बैंक गारंटी, जिसकी वैधता 10 वर्ष 06 माह की होगी, अपलोड (Upload) की जायेगी तथा इसकी मूल भौतिक प्रति (Original Physical Copy) परिवहन आयुक्त उ.प्र. कार्यालय को नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर आवेदन की तिथि से 07 दिवस में प्रस्तुत की जायेगी।

5.6- आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी Preliminary Registration Certificate (PRC) भी NSWS पोर्टल पर अपलोड (Upload) की जायेगी।

5.7- Registration Certificate (RC) हेतु प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन इस प्रयोजन हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय पर गठित परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त अर्ह आवेदक के पक्ष में Registration Certificate (RC) जारी करने की संस्तुति स्वीकर्ता प्राधिकारी परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को किया जायेगा।

5.8- आवेदन के साथ केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रारूप 66 में सफल Pre Commissioning Audit and Assessment Report भी अपलोड (Upload) की जायेगी तथा इसकी मूल भौतिक प्रति (Original Physical Copy) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर आवेदन की तिथि से 07 दिवस में प्रस्तुत की जायेगी।

5.9- आवेदन के साथ निम्न अतिरिक्त अभिलेख भी NSWS पोर्टल पर अपलोड (Upload) किया जाना अनिवार्य होगाः-

i. ₹100/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय की घोषणा कि आवेदक द्वारा समस्त स्थानीय नियमो (भू-उपयोग सम्बन्धी सहित), के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
ii. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC)।
iii. उ०प्र० श्रम विभाग का पंजीकरण (Labour Certificate of UP)
iv. लीज भूमि की दशा में न्यूनतम 10 वर्ष का रजिस्टर्ड लीज अनुबन्ध अथवा भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।
v. कन्सोर्सियम/ज्वांइट वेन्चर की स्थिति में SPV रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (कम्पनी एक्ट के तहत)।

5.10- स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त समिति की संस्तुति से संतुष्ट होने की स्थिति में अर्ह आवेदक के पक्ष में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में निर्धारित प्रारूप-62 में RC जारी किया जायेगा। जारी RC को NSWS पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जहाँ से आवेदक द्वारा RC का प्रिन्ट प्राप्त किया जा सकेगा, साथ ही आवेदक यदि चाहे तो उसके द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय से आवेदन कर निःशुल्क प्राप्त किया जायेगा। भविष्य में RC की मूल प्रति खो जाने पर आवेदक द्वारा आवेदन के साथ केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-188 में विहित शुल्क जमा करने के उपरांत रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त) द्वारा RC की दूसरी प्रति जारी की जाएगी। ऐसी दूसरी प्रति जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाएगी।

5.11- NSWS पोर्टल पर समय से एवं सही रूप में आवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक का होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन, अपूर्ण आवेदन तथा समय से आवेदन नहीं प्रस्तुत करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.12- स्वचालित परीक्षण केन्द्र में उपयोगिताओं जैसे ट्रांसफार्मर, निम्न दबाव या उच्च दबाव पैनल सुरक्षा सहित या सुरक्षा युक्तियाँ, वायु कम्प्रेसर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति स्रोत, वाटर कूलर, पेयजल व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा और पर्याप्त क्षमता वाला अग्निशमन संयंत्र और परीक्षण पथ क्षेत्र में पर्याप्त संवातन और धुंआ निकासी संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

5.13- स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणन, सूचना प्रौद्यागिकी संयंत्र के लिए वाहन डेटा बेस को यथालागू, सुरक्षित पहुँच हेतु प्राप्त करना होगा तथा परीक्षण उपस्कर और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-190 के अनुसार होगी।

5.14- रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त) द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-175 में उल्लिखित व्यवस्था तथा निर्धारित प्रारुप में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की पंजीयन पुस्तिका निर्गत करेंगे।

6- स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालक द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2021 (जी0एस0आर0-652ई), अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 (जी0एस0आर0-797ई), अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2024 (जी0एस0आर0-195ई), नवीन अधिसूचना दिनांक 08 मई, 2026 (जी0एस0आर0-349ई) एवं केन्द्रीय मोटर य़ान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 तथा यथासमय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

7- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उक्तानुसार लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अर्चना अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2026/859(1)/तीस-4-2026 (1631800), तददिनांकित।

उक्त की प्रति सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

"ATS" FORMAT-1

DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/NON-BLACKLISTING

(To be executed on Rs. 100/- Stamp Paper & Attested by Public Notary/Executive Magistrate by the Applicant)

To,

The Transport Commissioner,

Transport Department,

Uttar Pradesh.

Ref: - Uttar Pradesh G.O. No.: …….

I/we hereby declare and undertake as follows that;

My/our company and all members of the consortium (joint venture, if applicable) and its/theirs MD/CEO shall not be under a declaration of ineligibility/ banned/ debarred/black listed by any state government or government of union territory or central government or any public sector undertaking in India and has/have not been convicted by any court of competent jurisdiction in the last three financial years.

In case the above information is found false, I/we are fully aware that the Preliminary Registration Certificate (PRC) will be cancelled by Transport Commissioner, Uttar Pradesh.

Yours sincerely.

Authorized Signature:

Name of Signatory:

Designation of Signatory:

Name of the Company:

Address of the Company:

Seal of the Company:

Date:

http://shasanadesh.up.gov.in

"ATS" FORMAT-2 AUTHORIZATION CERTIFICATE

(Duly notarized on non-judicial stamp paper of value Rs.100/-)

Know all men by these present, I/We do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorize Mr/Ms/Mrs. Name of the person, son/ daughter/ wife as our true and lawful attorney of and presently residing 'at (hereinafter referred to as the "Authorized Signatory") to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our application for Automated Testing Station (ATS) at Name of the District in response to Uttar Pradesh G.O. No.: ..... dated ..... issued by the Transport Department, Government of Uttar Pradesh.

Details of the Authorized Signatory are given below: -

Name of the Authorized Signatory:

Designation of the Authorized Signatory:

Name of the Company:

Signature of Authorized Signatory is attested below:

IN WITNESS WHEREOF WE THE ABOVE-NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THE..... DAY OF..... 20...

(Signature)

Name:

Designation:

Company:

Seal:

Address:

Witnesses:

1.

2.

∗Note: In case of consortium/joint venture, all the members shall have to sign this Authorization Certificate in favour of the Authorized Signatory.

http://shasanadesh.up.gov.in